

मौरठ विकास प्राधिकरण

की

38वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 17-6-89

का

कार्यालय

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनांक 17-6-89

समय : प्रातः 11 बजे

स्थान :

उपस्थिति :

1- श्री देशराज सिंह	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2- श्री अनिल कुमार सिंह	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ। सौलंकी	उपाध्यक्ष
3- श्री विजय शर्मा	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
4- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव, आवास, लखनऊ।	सदस्य
5- श्री बी०एल०मनचन्दा	उपसचिव - वित्त	सदस्य
6- श्री ज०अ०जोशी	अधीक्षण अभियन्ता, जिलनिगम	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-6-89 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-

1- श्री देशराज सिंह	आयुक्त/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
2- श्री अनिल कुमार सिंह	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ। सौलंकी
3- श्री विजय शर्मा	जिलाधिकारी, मेरठ।
4- श्री सुभाष चन्द्र बहुखण्डी	संयुक्त सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
5- श्री बी०एल०मनचन्दा	उपसचिव - वित्त विभाग, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
6- श्री ज०एस०जोशी	अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ०प्र०जिलनिगम, मेरठ।

कार्यवृत्त का विवरण

मद संख्या- 1

बैठक दिनांक 23-1-89 के कार्यवृत्त की अध्यक्ष महोदय द्वारा पुष्टि की गयी ।

मद संख्या- 3

बर्ष 88-89 का वास्तविक एवं बर्ष 89-90 का प्रस्तावित आय-व्ययक ।

बर्ष 88-89 का वास्तविक एवं बर्ष 89-90 का प्रस्तावित आय व्यय पर विचार किया गया । बर्ष 88-89 में कुल प्राप्त आय (प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर) 42.87 लाख रुपये एवं व्यय 40.82 लाख रुपये तथा बर्ष 89-90 के प्रस्तावित आय व्ययक में कुल आय 78.33 लाख रुपये तथा व्यय 7688.07 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

मद संख्या- 4

बर्ष 86-87 एवं बर्ष 87-88 की बेलेन्स शीट पर विचार ।

बर्ष 86-87 व 87-88 की बेलेन्स शीट पर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया ।

मद संख्या- 5

मानचित्र संख्या 845/87 से सम्बन्धित विकास शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

भवन मानचित्र सं०-845/87 के सम्बन्ध में विकास शुल्क में छूट दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया । प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23-1-89 में उपरोक्त भवन मानचित्र को प्राधिकरण की योजना में समायोजित करते हुए विकास शुल्क साधारण से आधी दर पर तथा प्लाट एरिया के स्थान पर कवर्ड एरिया पर लिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया । इस प्रकार विकास शुल्क के सम्बन्ध में उपयुक्त छूट दी जा चुकी है । इस प्रकरण में और अधिक

छूट दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

मद संख्या- 6

बाल भारती स्कूल के मानचित्र सं०- 949 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कसेरु खेडा स्थित बाल भारती स्कूल का भवन मानचित्र सं०-949 को प्राधिकरण की योजना में समायोजित किये जाने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। भवन मानचित्र से सम्बन्धित खसरा सं०-285 प्राधिकरण की रक्षापुरम आवासीय योजना में अर्जित किया जा चुका हैं विद्यालय से सम्बन्धित स्थल का बैनाम श्री कैलाश चन्द्र शर्मा द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30-4-87 में रक्षापुरम आवासीय योजना की स्वीकृति के पश्चात खरीदा गया है तथा विद्यालय से सम्बन्धित भवन का अवैध निर्माण भी किया जा चुका है।

उपरोक्त परिस्थिति में भवन मानचित्र सं०-949 को प्राधिकरण की रक्षापुरम आवासीय योजना में समायोजित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

मद संख्या - 7

दैनिक जागरण लिमिटेड, मेरठ को प्राधिकरण की योजना में 4000 वर्गमीटर भूमि का आबंटन।

दैनिक जागरण लिमिटेड, मेरठ को प्राधिकरण की योजना में 4000 वर्गमीटर भूमि आबंटन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया। प्रैस व अन्य कार्यालय हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में नीति निर्धारण कर लिया जाये। कार्यालय आदि को भूमि दिये जाने हेतु योजनाओं में स्थल का भी चयन कर लिया जाये। संयुक्त सचिव, नगर विकास उ०प्र० शासन द्वारा बताया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रैस एन्क्लेब हेतु भूमि आबंटन हेतु नीतियाँ निर्धारित की गयी है। यह भी देख लिया जाये कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा क्या नीति निर्देश दिये गये हैं तथा इलाहाबाद, लखनऊ एवं अन्य विकास प्राधिकरणों द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है।

मद संख्या - 8

मैसर्स नवयुग इण्डिया लिमिटेड ग्राम मोहदीनपुर के मानचित्र सं०-५५५/८८ के बाह्य विकास शुल्क की छूट के सम्बन्ध में।

ग्रम मोहदीनपुर के खसरा सं०-१९०/बी १९८/ए में प्रस्तावित प्लाट एरिया १४५३१.०६ वर्गमीटर के भवन मानचित्र सं०-५५५/८८ के बाह्य विकास शुल्क के छूट के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। मैसर्स नवयुग इण्डिया लि० द्वारा यह कहा गया है कि उनके द्वारा भवन मानचित्र पर माँग किये जाने वाले विकास शुल्क ₹० ६,६०,८२५.०० का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा बिजली की लाईन भी अपने आप ही ३३/११ के सब-स्टेशन से लेनी है तथा वहाँ सीवर की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा नहीं की जानी हैं विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक भूखण्डों पर प्लाट एरिया के आधार पर विकास शुल्क लिया जाये तथा मैसर्स नवयुग इण्डिया लि० के प्रकरण में विकास शुल्क में मेन विद्युत लाईन से विद्युतीकरण के खर्च का कम्पोनेन्ट आनुपातिक आधार पर घटाकर विकास शुल्क ले लिया जाये।

मद संख्या - 9

बाह्य विकास शुल्क की दरों पर पुर्णविचार।

बाह्य विकास शुल्क की दरों पर पुर्णविचार के प्रस्ताव पर विचार किया गया। अन्य विकास प्राधिकरणों से प्राप्त बाह्य विकास की दरों पर भी विचार किया गया। प्राधिकरण की योजनाओं में जो भूखण्ड आबंटित किये जाते हैं उन पर भवन मानचित्र स्वीकृत करते समय विकास शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि आबंटी आबंटन के काफी पश्चात भूखण्ड पर निर्माण करते हैं, उस समय तक बाह्य विकास शुल्क की दरों में काफी वृद्धि हो जाती है। बाह्य विकास की दरों में समय के साथ वृद्धि होने के फलस्वरूप प्राधिकरण की योजनाओं में किये जाने वाले विकास कार्यों में प्राधिकरण को इस हेतु आबंटियों से प्राप्त धनराशि से कहीं ज्यादा व्यय करना पड़ता है अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्राधिकरण में सैक्टर रेट व विकास शुल्क की दर हर बर्ष पुनरीक्षण की जानी चाहिए। भूखण्डों को एलाटमेन्ट के समय आबंटियों से

अधिग्रहण कास्ट एवं आन्तरिक विकास की दरों को सम्मिलित करते हुए कीमतें ली जायें तथा भूखण्ड पर निर्माण के समय वास्तविक बाह्य विकास की दरों पर विकास शुल्क लिया जाये। प्राधिकरण की आवासीय योजना में एक वर्कबुल फार्मूला बना लिया जाये कि कितने भवन मानचित्रों से सम्बन्धित विकास शुल्क उस क्षेत्र के बाह्य विकास के लिये पर्याप्त होगा ताकि प्राधिकरण को बाह्य विकास करने में आर्थिक कठिनाई न हो। प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय औद्योगिक व व्यवसायिक भूखण्ड पर निर्माण हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत करते समय वास्तविक विकास की लागत पर विकास शुल्क चार्ज किया जाये। विकास शुल्क को कवर्ड एरिया परलिये जाने एवं विकास शुल्क की दरों को कम किये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है।

मद संख्या - 10

विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित योजनाओं में प्राप्त तलपट मानचित्रों के निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को अधिकार दिया जाना।

इस प्रस्ताव के साथ अन्य बिषय में प्रस्तुत मद “प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30-4-87 को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 17,957.37 एकड़ भूमि अर्जन के प्रस्ताव पर पुनः विचार” पर भी विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30-4-87 में विभिन्न प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत 17,957.37 एकड़ भूमि अर्जन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 9-12-87 में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में केवल व्यक्तिगत भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को दिया गया जिसके कारण प्रस्तावित योजनाओं में आवासीय समितियों तथा कालोनाईजरों द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान की स्वीकृति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं न देकर प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता रहा है। अर्बन प्लानिंग डिवलपमेन्ट एक्ट की धारा-14 में इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को सभी अधिकार दिये गये हैं। अतः बोर्ड द्वारा उपाध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रश्न ही नहीं है।

प्राधिकरण की अब तक कुल अधिसूचित 5,992 एकड़ भूमि के विरुद्ध केवल 1540 एकड़ भूमि का ही कब्जा प्राधिकरण द्वारा लिया जा चुका है शेष 4,452 एकड़ भूमि का कब्जा प्रतिकर भुगतान के उपरान्त प्राप्त हो गया । इस 4452 एकड़ भूमि के प्रतिकर हेतु 211 करोड़ रुपये की धनराशि देना अवशेष हैं दिनाँक 22-2-90 तक एवार्ड न घोषत होने की स्थिति में अर्जन की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी । अतः उपरोक्त परिस्थितियों में जबकि धारा-4,6 व 17 के अन्तर्गत अधिसूचित 4452 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जाना एवं प्रतिकर दिया जाना अब भी अवशेष है । ऐसी स्थिति में प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 30-4-87 के अन्तर्गत 17,957.37 एकड़ भूमि को प्रस्ताव द्वारा अर्जन के लिये सुरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है उ०प्र० औद्योगिक विकास निगम से भी उनकी भूमि की आवश्यकता प्राप्त कर ली जाये । उनकी माँग के आधार पर उनसे नियमानुसार बाँछित धनराशि लेकर अधिग्रहीत भूमि दे दी जाये । आवास विकास परिषद एवं मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एक साथ बैठक यह तय कर लियाजाये कि अधिसूचित भूमि में कितने एकड़ भूमि का मुआवजा दोनों विभागों द्वारा अपने स्रोतों को पूल करके दिया जा सकता है । प्राधिकरण में अभी इतना संसाधन नहीं है कि इतनी मात्रा में भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित कर रिजर्व कर दिया जाये । अतः दिनाँक 30-4-87 की बैठक में अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि जिसके प्रस्ताव जिलाधिकारी को नहीं भेजे गये हैं, को अर्जन हेतु सुरक्षित रखने की औचित्यता न पाते हुए इसे निरस्त किया गया ।

प्राधिकरण में अब तक प्राप्त तलपट मानचित्रों का निस्तारण मास्टर प्लान के अनुरूप विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता रहा है । नगर के सुनियोजित विकास हेतु जोनल प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है । जोनल प्लान शीघ्र अति शीघ्र तैयार कर प्राधिकरण से अनुमोदित करते हुए शासन को अनुमोदन हेतु भेज दिया जाये ।

मद संख्या - 11, 12 व 13

1- ग्राम शेरगढ़ी के खसरा सं०- 6351, 6351 एवं 6356 की भूमि को प्राधिकरण की योजना सं०-8 से मुक्त करने का प्रस्ताव ।

2- प्राधिकरण की योजना सं०-8 से दीनबन्धु सहकारी समिति की ग्राम मेरठ खास एवं काजीपुर की खसरा सं०- 19, 11 एवं 6262/2, 6308/2, 6308/3, 6309 की अर्जन प्रस्ताव से मुक्त किया जाना ।

3- कस्बा मेरठ मे खसरा सं०- 6260, 6261, 6262, 6264, 6265, 6266, 6281 में प्रस्तुत तलपट मानचित्र सं०-166 (रामापुरम) ।

प्रस्ताव सं०-10 पर लिये गये निर्णय के फलस्वरूप मद सं०-11, 12 व 13 पर निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है ।

मद संख्या - 14

ग्राम रेसना के खसरा सं०-190 से 217 व 219 की भूमि के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

ग्राम रेसना के खसरा सं०- 190 से 217 व 219 की भूमि के भूपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया । मेरठ महायोजना के पुनरीक्षण हेतु सर्वे का कार्य चल रहा है । अतः भूउपयोग परिवर्तन का यह प्रकरण ड्राफ्ट मास्टर प्लान की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना उचित है तथा इस स्तर पर भूउपयोग परिवर्तन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा यह बताया गया कि दिसम्बर, 89 तक ड्राफ्ट मेरठ महायोजना तैयार कर ली जायेगी । इस पर विचार हेतु प्राथमिक बैठक कर लिया जाये ।

मद संख्या - 15

मित्रलोक सहकारी आवास समिति लि० के ग्राम दतावली गेसुपुर के खसरा नम्बरान 996,997,998,1011,1013 के भूउपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

मित्रलोक सहकारी आवासीय समिति के उपरोक्त खसरा नम्बरान 996,997,998,1011,1013 के भूउपयोग परिवर्तन पर विचार विमर्श किया गया ।

चूँकि मेरठ महायोजना का पुनरीक्षण किया जा रहा हैं अतः यह प्रकरण ड्राफ्ट मास्टर प्लान की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाना उचित होगा । तदनुसार मित्रलोक सहकारी आवास समिति के भूउपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव निरस्त किया जाता है ।

मद संख्या - 16

बसंत बिहार सहकारी समिति स्थित ग्राम आदिपुर अम्हेडा (रक्षापुरम) योजना खसरा सं०-339,400,382,395 की भूमि को अर्जन मुक्त किये जाने पर पुनर्विचार ।

बसन्त बिहार सहकारी समिति की ग्राम आदिपुर अम्हेडा की उपरोक्त भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । बसन्त बिहार सहकारी समिति के सम्बन्ध में यह देख लिया जाये कि क्या यह सोसायटी नियमानुसार आवास आयुक्त के यहाँ पंजीकृत है या नहीं तथा यह भी देख लिया जाना उचित होगा कि प्राधिकरण द्वारा इस भूमि को अर्जन किये जाने के प्रस्ताव के पहले यह समिति कानूनन अस्तित्व में आ गयी थी या नहीं तथा यदि यह सोसायटी शासनादेश सं०-4480/37-2-86 दिनांक 27-10-86 की परिधि में आती है तो इस समिति से निगोशियेटेड सेटिलमेन्ट कर लिया जाये और उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण अध्यक्ष, प्राधिकरण के माध्यम से शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे ।

मद सं०-17

देहरादून - दिल्ली बाई पास मार्ग तथा दिल्ली-मेरठ मार्ग के मध्य क्षेत्र की सौन्दर्यीकरण योजना ।

देहरादून दिल्ली बाईपास मार्ग पर लगभग 9793.43 वर्गगज भूमि के एक लैण्ड स्केप डिजाईन मैसर्स दीवान रबर इन्डस्ट्रीज लिं० के द्वारा विकसित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । इस सम्बन्ध में कोई स्वामित्व विवाद न हो तथा व्यक्तिगत भूस्वामियों को कोई आपत्ति नहीं हो और संयुक्त डिजाईन प्रस्तुत किया गया हो तो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण इस प्रकरण में स्वयं निर्णय लेवें ।

मद सं०-१८

पल्लवपुरम आवासीय योजना में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैन्ट को पाकेट “ओ” में 5000 वर्गमीटर भूमि का आबंटन ।

इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैन्ट को पल्लवपुरम आवासीय योजना में पाकेट “ओ” में 5000 वर्गमीटर भूमि आबंटन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैन्ट द्वारा तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त किये जाने का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है । अतः इन्स्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमैन्ट को पल्लवपुरम आवासीय योजना में 5000 वर्गमीटर भूमि आबंटन किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है ।

मद सं०-१९

शंकर सिंह पुत्र श्री बारू सिंह निवासी -७ जगन्नाथपुरी, मेरठ शहर के 1500 वर्गमीटर भूमि रक्षापुरम आवासीय योजना में आबंटित किये जाने का प्रस्ताव ।

शंकर सिंह पुत्र श्री बारूसिंह को रक्षापुरम आवासीय योजना में 1500 वर्गमीटर भूमि आबंटन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । श्री शंकर सिंह की रक्षापुरम आवासीय योजना में कुल 56,567.50 वर्गगज भूमि आबंटन कर ली गयी है जिसमें उनका फार्म हाऊस आदि बना है । अतः श्री शंकर सिंह को रक्षापुरम आवासीय योजना में निर्धारित सैकटर दर पर दो भूखण्ड आबंटित कर दिया जाये । तीसरे भूखण्ड की आवश्यकता के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष के द्वारा स्वयं निर्णय लिया जाये ।

मद सं०-२०

मेरठ पब्लिक स्कूल, मेरठ को पल्लवपुरम आवासीय योजना में रियायती दर पर 6470 वर्गमीटर भूमि का आबंटन ।

मेरठ पब्लिक स्कूल को पल्लवपुरम आवासीय योजना में रियायती दर पर 6470 वर्गमीटर भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया ।

मेरठ पब्लिक स्कूल, मेरठ सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन से सम्बद्ध उच्च स्तर का शिक्षा संस्थान है। पल्लवपुरम आवासीय योजना में गुरु तेगबहादुर पब्लिक स्कूल, मेरठ को पूर्व में रियायती दर पर भूमि दी जा चुकी है। अतः मेरठ पब्लिक स्कूल को अन्य योजनाओं में भूमि दिया जाना उचित होगा।

शासनादेश सं०- 7323/11-5-86-200(148)/86 दिनाँक 11-8-86 के अन्तर्गत निर्धारित दरों पर गंगानगर आवासीय योजना में 6470 वर्गमीटर भूमि आबंटन का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।

मद संख्या - 21

राजवंश बिहार सहकारी समिति के खसरा सं०-28, 29, 30/1,31/1 ग्राम कमालपुर तथा सराय काजीपुर के तलपट मानचित्र की भूमि को योजना सं०-8 से मुक्त करने का प्रस्ताव।

राजवंश बिहार सहकारी समिति की भूमि को योजना सं०-8 से अर्जन मुक्त प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया। इस सम्बन्ध में मद सं०-10 पर निर्णय लिया जा चुका है।

मद संख्या - 22

अन्य बिषय

(1) मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कार हेतु अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श।

प्राधिकरण के अधिकारियों को अग्रिम दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। कार अग्रिम दिये जाने हेतु उ०प्र० शासन द्वारा जारी किये गये शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये।

(2) भूमि अध्यापि हेतु विभिन्न योजनाओं के हेतु हुड़को से ऋण लेने के सम्बन्ध में अनुमति के प्रस्ताव पर विचार।

प्राधिकरण की बैठक दिनाँक 23-1-89 में निम्न तीन योजना हेतु भूअर्जन हेतु ऋण लेने का प्रस्ताव रखा गया था।

1- ग्राम नंगलाताशी कासिमपुर में आवासीय/व्यवसायिक भवनों के लिये भूमि ।

2- ग्राम नंगलाताशी कासिमपुर में आवासीय/व्यवसायिक भवनों के निर्माण हेतु भूमि ।

3- ग्राम बराल परतापुर, कुण्डा, कंचनपुर घोपला, अच्छरोन्डा, काशी, नंगला शेखा एवं रिठानी में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक भवनों के निर्माणहेतु भूमि ।

इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त योजनाओं से सम्बन्धित ऋण प्रार्थना-पत्र हुड़को को भेज दिया जाये तथा ऋण प्राधिकरण की अनुमति के पश्चात ही लिया जाये । विचार विमर्श के उपरान्त उपरोक्त योजनाओं हेतु हुड़को से ऋण लेने की अनुमति प्रदान की गयी ।

(3) शहर में यातायात एवं पार्किंग का नियन्त्रण ।

मेरठ शहर में बढ़ते हुए वाहनों की संख्या को देखते हुए यातायात व पार्किंगका नियन्त्रण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । इस हेतु निम्न प्रकार एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया ।

1- जिलाधिकारी, मेरठ ।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।

3- उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ ।

4- अधिशासी अधिकारी, कैन्ट बोर्ड ।

कमेटी समय-समय पर बैठक कर इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

(4) वृक्षारोपण

नगर में वृक्षारोपण हेतु वृहत कार्यक्रम तैयार कर दीर्घ स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाये । बर्षा ऋतु इस हेतु अत्यन्त उपयुक्त समय है । अतः आने वाली बर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये ।

(5) शहीद स्मारक

बर्ष 1957 की क्रान्ति की शुरुआत मेरठ से हुई थी और मेरठ में शहीदों की यादगार बनाये रखनेहेतु शहीद स्मारक का रख-रखाव उचित ढंग से किया जाना आवश्यक है। अतः इसके रखरखाव का कार्य मेरठ विकास प्राधिकरण को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस हेतु एक कमेटी बनाये जाने का निर्णय लिया गया। कमेटी को उपयुक्त ढंग से कार्य करने हेतु एन०ए०एस० कालिज में तीन कमरे का कार्यालय भी उपलब्ध करा दें तथा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इस हेतु प्लेकार्ड भी लगवा दिया जाये।

(6) शहर के बिल्टप क्षेत्र में निर्माण को रेगुलेट किया जाना।

शहर के बिल्टप क्षेत्र में जनसंख्या के घनत्व को नियन्त्रित करने हेतु एफ०ए०आर० कम किया जाना आवश्यक है। सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा यह बताया गया है कि संशोधित मेरठ महायोजना में क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त एफ०ए०आर० हेतु प्राविधान किया जायेगा। इस प्रकार बिल्टप क्षेत्र में निर्माण को नियंत्रित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सीलिंग विभाग से 40000 वर्गमीटर भूमि अर्बन सीलिंग लैन्ड के अन्तर्गत सरकूलर घोषित हो चुका है और उसकी सूची सक्षम प्राधिकारी, अर्बन सीलिंग विभाग से प्राप्त कर ली जाये।

(7) अनाधिकृत निर्माण

नगर में अवैध रूप से अनाधिकृत निर्माण चल रहा है। अर्बन सीलिंग प्लानिंग डिवलपमेन्ट एक्ट में अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु पर्याप्त अधिकार दिया गया है। अनाधिकृत निर्माण न रोकने पर 500/- प्रतिदिन अर्थदण्ड लगाने का प्राविधान है। अनाधिकृत निर्माण को रोकने हेतु अभियोजन की कार्यवाही की जाये ताकि अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

अन्त में उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा आज की बैठक की
अध्यक्ष के लिये अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया गया ।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ आज की बैठक समाप्त हुई ।

ह०/-

अध्यक्ष

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

39वीं बोर्ड बैठक